

नामान्तरण दाखिल खारीज के आवेदन पर कर्मचारी का जॉच प्रतिवेदन

नामान्तर मुकयमा संख्या

ग्राम विपही-बनवाह थाना बनवाह
जिला : गिरिडीह

थाना संख्या 213

इस्टेट का नाम :- डारखण्ड

(1) नामान्तरण का कारण
(वान, बटवारा, विक्रय
उत्तराधिकारी आदि)

केसल नं० 169

दिनांक
16-01-08

(2) पूर्णतः या अंशतः
खरिददार का पेशा :

विक्रय एकवा

जरसमत
125/500

खाना सं०	अधिकारी का नाम	प्लॉट सं०	एकवा	लगान	बनियुक्ति
नामान्तरण के पूर्व मूल होल्डिंग					
13	<u>विमल कुमार</u> <u>जानक देवी</u> <u>38 गिरिडीह</u> <u>पंजी</u>		04/4	1.00	<p>नकारण</p> <p>(1) आवेदित भूमि गौजा <u>विपही</u> थाना नं० 213 खाना सं० 13 एकवा 04 सर्व उत्तियान में देवती खाने की भूमि पर है। इसका मूल जगबंदी <u>विमल कुमार</u> के नाम से दर्ज है।</p>
नामान्तरण के बाद मूल होल्डिंग					
13	<u>म</u>		1/2	—	<p>(2) यह जाति अनुज जाती/अनुज जन जाति एवं अन्य लिखते हैं कि जन 51 जातियों जो छोटानामपुर का कास्ताकरी अधिनियम से प्रभावित होती है उससे बाहर है।</p> <p>(3) कंता एवं विकंता अनुज जाती/अनुज जन जाति से बाहर साथ ही सौं एन० टी० एक्ट के अन्तर्गत प्रभावित होने पर 51 जातियों से कंता एवं विकंता कि जाति भिन्न है।</p> <p>(4) विक्रय भूमि कि जगबंदी पंजी 2 के भौलुप सं० <u>19</u> विकंता के <u>विमल कुमार</u> के नाम से दर्ज</p>
नया होल्डिंग					
13	<u>महावीर खोरा</u> <u>40 सौं सुगम</u> <u>बनवाह</u>	346	02 1/2	1.00	<p>(5) विकंता ने अपने एक हिस्सा कि भूमि बिक्री किया है।</p> <p>(6) कंता कय कि गरी भूमि पर दखलकार है।</p> <p>(7) आवेदित भूमि मुदान, मुहद बंदी, सैरत, मुअर्जन एवं तारकारी भूमि से युक्त है।</p> <p>(8) इस नामान्तरण से सौ एन टी एक्ट कि धारा 40 (1) में कोई उल्लंघन नहीं करता है।</p> <p>अतः कंता के नाम से नामान्तरण आदेश स्वीकृत की जा सकती है।</p>

[Signature]
हल्का कर्मचारी का हस्ताक्षर
हल्का संख्या.....

कर्मचारी द्वारा दिया गया जीव प्रतिवेदन

1	मूल आदिवासी रैगत के नाम	
2	जमाबंदी रैगत का नाम	विष्णु राम ठंडा
3	विक्रेता/दाता का नाम	विष्णु राम ठंडा
4	जमाबंदी रैगत से विक्रेता/दाता का संबंध।	सहय विक्रेता,
5	जमाबंदी अनिधारी खाता पंजी 2 की जिल्द सं०	19/7
6	यदि आवेदित भूमि संयुक्त खाते की है तो क्या विक्रेता/दाता ने अपने अंश का जमीन विक्रय/दान की है।	नहीं
7	क्या मूल रैगत आदिवासी है। क्या जमाबंदी रैगत आदिवासी है यदि हाँ तो भूअंतर हेतु छांटन अधिनियम की धारा 46 अंतर्गत भूमि सुधार उपसमाहर्ता से किस विशिष्ट मुकदमा सं०के द्वारा पूर्वानुमति प्राप्त की गई।	नहीं
8	आवेदित भूमि पर वर्तमान में किसका कब्जा है।	वही
9	आवेदित भूमि की वर्तमान स्थिति कृषि/मकान/व्यवसायिक/परती है।	मकान
10	क्या आवेदित भूमि अनायाद झरखण्ड सरकार/बंदोबस्त/लीजभूमि/के अंतर्गत पड़ता है।	नहीं
11	क्या आवेदित भूमि वासीगत/मूदान/सिकमी भूमि/के अंतर्गत पड़ता है।	नहीं

बिलस



Handwritten notes and scribbles in the middle-left section of the page.

सं - विजय कुमार सं 125000.00
प्रकार - पच्चीस हजार रूपये
मकानी - 2 1/2 डी 0 पत्तन बंधी
ता: 16/01/2008



विजय कुमार

नाम राम तारीफ मोहरी - श्री विजय कुमार (पिता स्व. कोटि राम लाल शंकर रावणगल पेशा खेती साहित्य मौजा धनवा (बागाको सब रजिस्ट्री कोपर्स धनवा (सहर रजिस्ट्री कोपीस को खिण्डा तिरिडीह)

नाम राम तारीफ बोकोट स्टेज - श्री गदवीर खोली पिता स्व. नुमरानी-खोली जागा-खोली पेशा खेती साहित्य मौजा शंकरोई फाहद बेरा टांगाना को सब रजिस्ट्री कोपर्स धनवा (सहर रजिस्ट्री कोपीस को खिण्डा तिरिडीह) रावरीमता भारतीया

किस्मती स्टाफ - केवला के दुष्य कृष्णी सहकारी,
तामसके प्रसन्न - मो. - 645000/एक + 100000/कुपण 92 (10000)
एक लाख पच्चीस हजार (नाम) 347. साहित्य

कोशी राज रावण
विजय कुमार रावण
सब रावण

